

## प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

### अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2025/169650/ETA/ETAH/953/CFO

दिनांक : 22-08-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **GD INTERNATIONAL SCHOOL** पता **KHASRA NO. 2238,HATSARI ROAD ALIGANJ,ETAH** तहसील - **ALIGANJ** प्लाट एरिया **6000 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **5570.50** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमे -

| ब्लॉक/टावर              | प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या | बेसमेन्ट की संख्या | ऊँचाई     |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------|
| GD INTERNATIONAL SCHOOL | 3                                 | 0                  | 10.95 mt. |

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **GD INTERNATIONAL SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **06-09-2025** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **SUDHA** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **08-09-2025** से **07-09-2028** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **GD INTERNATIONAL SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **GD INTERNATIONAL SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

**Note :** As per inspection report of FSSO:-1-During the inspection it was found that the building is constructed on Ground floor, first floor and second floor school is operated on it. 2-According to CLAUSE 26(5) OF UTTAR PRADESH FIRE AND EMERGENCY SERVICES ACT 2022,it is the responsibility of the building owner to maintain the fire fighting arrangements in his building and tested in 3 months,6 months and annually and submit its operational certificate to the fire service cfo office etah, every 06 month JANUARY and JULY if fire fighting operational certificate not submitted FIRE NOC shall REJECTED.

**"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"**



**मुख्य अग्निशमन अधिकारी**

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

**PRASHANT SINGH RANA**

C432103B5892F26D3222DAA4E0B07E53186D7FAF

08-09-2025

निर्गत किये जाने का दिनांक : 08-09-2025

स्थान : ETAH

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.